–:: कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

/ / आदेश / /

क्रमांक 47 / एक–11–1 / 11 उज्जैन, दिनांक 15 अप्रैल, 2024

मेरे अवकाश पर रहने, किसी शासकीय / प्रशासकीय कार्य से प्रवास पर रहने या अन्य किसी परिस्थिति में एवं मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहने के फलस्वरूप उक्त अवधि में सत्र न्यायाधीश उज्जैन की हैसियत से आवश्यक कार्य संपादित करने जिनमें नवीन जमानत आवेदन पत्र शामिल हैं, निम्नानुसार कार्य आवंटित करता हूँ :–

क्र.	न्यायालय का नाम	थाना
1	श्री सुनील कुमार विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) उज्जैन	अ.जा.क.
2	श्री संजय श्रीवास्तव पंचम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	नीलगंगा एवं देवासगेट
3	श्री सुनील कुमार शौक नवम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	नानाखेड़ा एवं महाकाल
4	श्री विवेक कुमार चंदेल अष्टम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	चिमनगंजमण्डी, भेरूगढ़, यातायात एवं वन विभाग, एस.टी.एफ.
5	श्री संतोष सैनी एकादश जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	माधवनगर, आबकारी एवं नागझिरी
6	श्री पवन कुमार पटेल तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	खाराकुंआ, कोतवाली,
7	श्री हेमन्त सविता द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	जीवाजीगंज, जी.आर.पी. नरवर
8	श्री राजेश जैन चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	घट्टिया, ई.ओ.डब्ल्यू.
9	श्री वीरेन्द्र वर्मा सप्तम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन	चिंतामण गणेश, पंवासा

नोट :–

(1) समस्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले **पाक्सो** से संबंधित जमानत आवेदन पत्र **श्रीमती कीर्ति कश्यप, षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन** के न्यायालय में रीडर द्वारा प्रेषित किये जावेंगे।

(2) समस्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले महिला उत्पीड़न से संबंधित (पाक्सो को छोड़कर) जमानत आवेदन पत्र **श्रीमती मंजुल पाण्डेय, दशम् अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन** के न्यायालय में रीडर द्वारा प्रेषित किये जावेंगे।

(3) श्री सुनील कुमार, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) उज्जैन के उक्त अवधि में अवकाश या अन्यथा अनुपस्थित रहने की दशा में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण किया जावेगा।

(4) **उपरोक्त पदस्थ न्यायाधीशगण में से किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके पद उत्तरवर्ती न्यायाधीश द्वारा उपरोक्तानुसार कार्य संपादित किया जावेगा।**

(5) एक ही प्रकरण में उसी अभियुक्त का पश्चात्वर्ती (अग्रिम / नियमित) आवेदन–पत्र, पूर्ववर्ती आवेदन–पत्र का निराकरण करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(6) एक ही प्रकरण में सह अभियुक्त के जमानत आवेदन–पत्र का निराकरण उसी अपर सत्र न्यायालय द्वारा किया जावेगा, जिसके द्वारा अन्य सह अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र का निराकरण किया गया है। यदि पूर्व में एक से अधिक सह अभियुक्त की भिन्न–भिन्न न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई की है, तब उनमें से उपस्थित वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश को आवेदन–पत्र अंतरित माना जावेगा।

(7) उपरोक्त अपर सत्र न्यायाधीशगण में से कोई भी अवकाश पर रहते है या अन्यथा अनुपस्थित रहते है तब उनके क्षेत्र का उक्त कार्य वर्तमान में प्रचलित **कार्य विभाजन पत्रक (संशोधन सहित)** के अनुसार सम्पन्न किया जावेगा।

(8) उक्त थानों के अतिरिक्त यदि कोई थाना उल्लेखित करने से रह गया हो तो उन थानो द्वारा प्रेषित नवीन जमानत की सुनवाई वरिष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा की जा सकेगी।

(9) धारा 138 निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के संबंध में जिस थाने के अंतर्गत चेक अनादृत (Dishonour) हुआ है, उस थाने से संबंधित प्रकरण समझा जावेगा।

(10) सत्र न्यायाधीश के रीडर द्वारा जमानत आवेदन पत्र उक्त आदेशानुसार संबंधित को सीधे प्रेषित किये जावेंगे।

(11) ऐसे किसी अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र का निराकरण यदि रिक्त न्यायालय द्वारा किया गया है तो उक्त प्रकरण से संबंधित जमानत आवेदन पत्र का निराकरण पूर्वानुसार कार्य विभाजन पत्रक अनुसार प्रभारी अधिकारी ही संपादित करेंगे, प्रभारी अधिकारी की अनुपस्थिति में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश रिक्त न्यायालय का कार्य संपादित करेंगे।

(12) नवीन जमानत आवेदन पत्र से संबंधित मूल सत्र प्रकरण जिस न्यायालय में लंबित है, उसी न्यायालय द्वारा ऐसा जमानत आवेदन पत्र निराकृत किया जावेगा।

(13) उपरोक्त आदेशानुसार संबंधित न्यायालय को प्रेषित जमानत आवेदन उसी न्यायालय में स्वमेव अंतरित माना जावेगा।

(14) इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेश अपास्त किये जाते हैं। उक्त आदेश आज दिनांक से प्रभावशील होगा।

(दीपेश कुमार तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

पृ.क्रमांक............ / एक–11–1 / 11 उज्जैन, दिनांक .... अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, उज्जैन
2. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) उज्जैन
3. ....

   अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. उपसंचालक अभियोजन कार्यालय उज्जैन
5. लोक अभियोजन कार्यालय, उज्जैन
6. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)